संख्या– 2124 / 9–3–16–19मिस/2016

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेषकार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश

2 समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश

3 **निदेशक,** नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0।

4 **समस्त नगर आयुक्त**
नगर निगम उ0प्र0।

5 **समस्त महाप्रबन्धक,**
जलकल विभाग,
नगर निगम उ0प्र0।

6 **महाप्रबन्धक,**
चित्रकूटधाम मण्डल,
जल संस्थान बॉदा/झॉसी।

7 **समस्त अधिशासी अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद/
नगर पंचायत।

नगर विकास अनुभाग–3 लखनऊ: दिनॉक: 25 नवम्बर, 2016

विषय: नागर निकायों/जल संस्थान द्वारा लिये जा रहे टैक्स पेनाल्टी एवं जल कर का भुगतान किये जाने हेतु जन सामान्य से पुराने नोट स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2022/9–3–16–19 मिस/2016, दिनांक–10.11.2016 एवं 2022(1)/9–3–16–19मिस/2016, दिनांक–10.11.2016 संख्या–2026/9–3–16–19मिस/2016, दिनांक 12.11.2016 एवं पत्र संख्या–2027/9–3–16–19मिस/2016, दिनांक–15.11.2016 पत्र संख्य–2042 /9–3–16–19 मिस/2016 दिनांक 16 नवम्बर 2016 पत्र संख्या–2047/9–3–16–19 मिस/ 2016 दिनांक 17 नवम्बर 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत नागर निकायों के परिप्रेक्ष्य में fees, charges, taxes penalty and Water Tax के सम्बन्ध में पुराने रू0 500 एवं0 1000 के नोट कमशः दिनांक 11.11.2016, दिनांक 14.11.2016 तथा दिनांक 24.11.2016 की मध्य रात्रि तक स्वीकार करने के निर्देश दिये गये है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों के परिप्रेक्ष्य में fees, charges, taxes penalty and Water Tax के सम्बन्ध में **मात्र पुराने रू0 500 के नोट ही** दिनांक 15.12..2016 की मध्य रात्रि तक स्वीकार करना नियमानुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी